

फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर

भाग बनाम भागा

केस संख्या :- 154/2011

दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/04/2011	<p>प्रावकी फर्म द्वारा वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगायी गयी। वाक्य अक्षर उपस्थित नहीं हुए। प्रावकी अक्षर हाजिरी एवं अक्षर वकील में खासि की जाती है। आदेश मुनाथा गया। प्रावकी के मूल दुमारा द्वारा एवं मूल से समझे।</p>

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 आमेर, जिला- जयपुर